क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005

Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 714 दिनांक :– 25/7/24

ई–निविदा सूचना 06 / 2024–25

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जोधपुर में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत जोधपुर शहर के 9 विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के संचालन (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM_{25} Sampler), उक्त उपकरणों के आस–पास सफाई, सुरक्षा एवं संरक्षण (Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Sample), संबंधित फिल्ड डाटा शीट (Field Data Sheet) सहित विभिन्न कार्य यथा विशलेषण इत्यादि कार्य अनुबंध के आधार पर कराने हेतु अनुभवी फर्मों / पंजीकृत संस्थाओं / एजेंसियों से दरें प्राप्त करने के लिए ई–बोली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	RISL शुल्क	निविदा प्रतिभूति राशि	ई–बिड प्रारम्भ होने की तिथी व समय	ई–बिड अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी ई–बिड खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7
22.00 Lac	Rs. 500	Rs. 500	Rs. 44000	30-07-2024	12-08-2024 दोपहर 1:00 बजे तक	13-08-2024 दोपहर 2:00 बजे

ई–बिड प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb or http://eproc.rajasthan.gov.in एवं उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे व डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चौक Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur के नाम से एवं RISL शुल्क MD, RISL Jaipur के पक्ष में देय होगा। Bid प्रपत्र फीस, RISL शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति राशि Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur के डी.डी. के बिना निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

NIB No- ....

UBN No- ....

(शिल्पी शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी, आई. टी शाखा, रा. प्र. नि. म. जयपुर को बोली सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
2. नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर।

RajKaj Ref
9184710

क्षेत्रीय अधिकारी

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005

Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/7/24

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. उपापन प्राधिकारी का नाम –क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर
2. बोली प्रस्तुत करने वाले का नाम / फर्म का नामः ....
3. पूरा पता : ....
4. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्तिः का नामः .... पदनाम .... एवं प्रमाणित हस्ताक्षर ....
5. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेडलाइन नं. .... मोबाइल न. ....
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत की किया जायेगा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी :–

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	ठेकेदार / फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम अथवा अन्य समक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण / विश्लेषण / नमूनों का परिवहन के लिए कर्मचारी आपूर्ति कराने का **न्यूनतम दो वर्ष का लगातार सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनिवार्य अनुभव।**			
2	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का बचन पत्र			
3	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
4	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948			
5	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
6	आयकर–पेन नम्बर ।			
7	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत			
8	निविदादाता की वित्तिय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के तौर पर Bank Solvency कम से कम 10 लाख रूपये तक होना आवश्यक है।			
9	गत 03 वर्ष वित्तिय वर्ष 2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–2024 में न्यूनतम टर्न ऑवर 30 लाख जिसके समर्थन में चार्टेट एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित पत्र एवं सम्बन्धित वर्षो की बैंलेंस शीट तथा	RajKaj Ref 9184710		

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/7/24

	आईटीआर			

7. Address Proof ....

8. Managing Director, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (RISL) के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 500/– प्रति बोली Processing Fees क्रमांक........................ दिनांक..................................

9. बोली प्रपत्र शुल्क 500/– रूपये डी.डी./बैंक चैक...

10. बिड सिक्योरिटी डी.डी. राशि–44000 / – रूपये, डी.डी. क्रमांक ....

11. मैं/ हम उपरोक्त ई–बिड सूचना संख्या 06 / 2024–2025 के संबंध में जोब बेसिक पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित दरे प्रस्तुत करता हूं / करत है। (वित्तीय बोली प्रपत्र सलंग्न – "Annexure-A") I

12. टर्न ओवरः– बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष 2021–2022, 2022–2023 व 2023–2024 न्यूनतम टर्न ओवर 30 (तीस) लाख होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेट अकाण्टेंट द्वारा UDIN No- सहित प्रमाणित पत्र की प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी। सम्बन्धित वर्षों की बैलेंस शीट तथा ITR प्रस्तुत करनी होगी।

13. मैं/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जोधपुर द्वारा जारी की गयी बोली सूचना कमांक 06 / 2024–2025 की शतों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त बोली सूचना की शर्तो से बाध्य होना में वर्णित सभी स्वीकार करता हूँ/ करते हैं एवं जिनके स्वीकार किए जाने के प्रमाण में बोली प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

14. ऊपर उल्लेखित दरें कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर पूर्व की दरों पर RTPP नियगों के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

15. बिड़ में वांछित श्रमिक का कार्य टेक्नीकल प्रवृति का है, अतः इसके लिए वांछित योग्यता बिंदु संख्या 1.4, 1.5 में अंकित है। अतः बिड़दाता द्वारा बिड़ के साथ निर्धारित योग्यता के श्रमिक उपलब्ध कराने का घोषणा पत्र 500/– रू. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा एवं सफलतम बिडदाता द्वारा श्रमिकों की योग्यता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/7/24

बिड से संबंधित कार्य का विवरण एवं श्रमिकों की योग्यता के संबंध में वितरण निम्नानुसार है:–

1.1 प्रबोधन केन्द्रों का विवरण :-

क्रमांक	स्थान का नाम	प्रयोगशाला का नाम व पता जहाँ नमूने जमा कराने है।
1	क्षेत्रीय कार्यालय, राप्रनिम, जोधपुर।	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, स्पेशल प्लॉट न. 02 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी प्रथम चरण, जोधपुर (राज.)
2	महामन्दिर पुलिस स्टेशन, जोधपुर।	
3	नगर निगम कार्यालय, सोजती गेट जोधपुर।	
4	जिला उधोग केन्द्र, जोधपुर।	
5	फायर स्टेशन शास्त्रीनगर पुलिस थाना जोधपुर।	
6	आवासन मण्डल कार्यालय, जोधपुर।	
7	आशियाना अमर बाग, कुडी भगतासनी जोधपुर।	
8	जेपीसीआरएफ सांगरिया पुलिस चौकी, जोधपुर।	
9	सूरसागर पुलिस थाना, जोधपुर।	

उक्त प्रबोधन केन्द्रो (Monitoring Stations) की संख्या नौ से अधिक की जा सकती है।

1.2 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर **<u>क्षेत्र सहायक</u>** के अपेक्षित कार्यः–

- कार्य का विवरणः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जोधपुर स्थित (09) स्थानों पर, जो बाद में बढाये भी जा सकते है, पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM 2.5 Sampler), उक्त उपकरणों के आस–पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety And Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित आंकड़ो (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.म. जोधपुर को निर्देशानुसार आंकड़ो तथा वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over) / परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रो के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा रहा है। वायु प्रदूषकों तथा मशीनों की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है।
- निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारू रूप से प्रचलन (Operation of Equipments) किया जायेगा।
- प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घन्टे चलाया जायेगा।

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005

Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/1714 दिनांक :– 25/7/24

- वंछित कार्य सम्पादन के लिए 8 घन्टे प्रति पारी (6:00 AM से 2:00 AM, 2:00 PM से 10:00 PM एवं 10:00 PM से 6:00 AM) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र राहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।

1.3 मण्डल द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्यौहार यथा दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किन्ही चुनिंदा स्थानों / उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रो) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यों का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।

1.4 क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

1.5 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की न्यूनटम शौक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर (विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है

1.6 1.6 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के अपेक्षित कार्यः–

परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यों का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।

शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।

• अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरिक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार / संस्था पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार / संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) **कार्य की शर्ते :–**

- बोलीदाता को जोधपुर शहर के सम्पूर्ण (09) प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- **ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य वैज्ञानिक कार्य जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण / नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने का लगातार न्यूनतम दो वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक हैं। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोली पर विचार नही किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा।**
- क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे–खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं बोलीदाता द्वारा जमा कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बोली या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या या कोई अन्य त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण गंडल, जोधपुर को होगा।

RajKaj Ref [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005

Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/7/24

- विभाग किसी भी बोली अथवा समस्त बोलीयों को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की बोली स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- बोली के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- बिड दो स्टेज–तकनीकी एवं वित्तीय बिड के रूप में प्रस्तुत की जाती है, वित्तीय बिड, प्रपत्र में संलग्न Annexure-"A" में प्रस्तुत की जाती है जो तकनीकी रूप से सफल बिडदाताओं की ही खोली जायेगी।
- बोली की अमानत का DD (अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत) बिड प्रपत्र शुल्क / राशि (Bid Security Money)/RISL Fees दिनांक 12/08/2024 को समय दोपहर 12:00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जोधपुर में पहुंच जाने चाहिए। प्राप्त बोलीयां की तकनीकी निविदाऐं 13/08/2024 दोपहर 2:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। सर्वप्रथम तकनीकी बोली को खोला जायेगा। तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वितीय बोली कार्यालय व्यवस्था अनुसार खोली जायेगी, जिसकी सूचना वेबसाइट पर प्रस्तुत की जायेगी।
- वित्तीय बोली में सफल पाये गये बोलीदाता को निम्नानुसार बोली का 05 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का डीडी एवं 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
- बिड सिक्योरिटी एवं धरोहर राशि (Performance Security) में MSME तथा SSI इकाई को RTPP नियमानुसार छूट देय होगी।
- बोली प्रपत्र एवं हस्ताक्षर युक्त समस्त दस्तावेज Website–eproc पर ही प्रस्तुत (अपलोड) की जानी है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring) आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला को परिवहन एवं नमूनो के विश्लेषण के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work) सम्पादन हेतु मशीन, उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment] supply of Absorbing Solutions] Filter Papers) आदि क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की गरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी क्षेत्रीय कार्यालय की होगी, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन / संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant) / एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आंकड़ा संग्रह आदि क्षति

RajKaj Ref 9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि से देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।

- ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेवर (रग्यूलशन एण्ड एवोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST रजिस्ट्रेशन सम्बधी प्रपत्र.पत्र संलग्न किया जावे।
- कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षत्ति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- ठेकेदार प्रतिमाह समकक्ष अधिकारी या समकक्ष से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिरा दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर, इस विवाद के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी, सदस्य सचिव तथा द्वित्तीय अपील अधिकारी, अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः

1. ठेकेदार / संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
2. इस बोली के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार / संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा।
3. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार / संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंषा पर ही उसके कर्मियों के गण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/परिचय–पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।
4. प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
5. ठेकेदार / संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सकायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
6. ठेकेदार / संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति / न्यायलय द्वारा अपराध सिद्ध एवं सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005

Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/1714 दिनांक :– 25/07/24

7. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनों, अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी। इस संबंध में क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों के बीमा की जरुरत होती है, तो वह संवेदक स्वयं करायेगा।

8. ठेकेदार / संस्था को राज्य मण्डल के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।

9. ठेकेदार / संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं सहायक (Scientific Assistant) के सम्बन्ध में विभिन्न श्रम प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।

10. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बनिधत कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EIP) एवं (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार / संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

11. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।

12. ठेकेदार / संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा / श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार / संस्था का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

13. सभी बोलीदाताओ से समान दरे प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता का निर्णय उनके टर्नओवर /अनुभव के आधार पर किया जावेगा।

14. सफल बोलीदाता द्वारा करार के पश्चात बोली की किसी भी शर्त का उल्लघंन प्रमाणित होने पर बोली दाता के विरूद्ध न्यूनतम 1000 रूपये की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जायेगी एवं अधिकतम शास्ति का निर्णय सदस्य सचिव के स्तर पर लिया जाऐगा। यह शास्ति (Penalty) शर्तों में वर्णित अन्य शास्ति (Penalty) के अतिरिक्त देय होगी।

15. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति / दंड एवं शारित (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।

16. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों / RTPP Act and Rules की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/सस्था को स्वीकार्य होंगे।

17. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये, तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।

18. यह है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।

RajKaj Ref 9184713

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005

Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

कमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/1714 दिनांक :–25/07/24

19. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
20. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की व्याख्या अथवा अनुवन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी, सदस्य सचिव तथा द्वितीय अपील अधिकारी, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.म. जयपुर होंगे एवं इस विवाद पर अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार / संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं राज्य मण्डल आपसी सहमति से अनुबन्ध को एक वर्ष के लिए निविदा की शर्तों एवं दरों पर बढ़ा सकते है।
21. ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूनें के एकत्रिकरण के कार्य में 21 प्रतिदिन केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकडा प्रतिवेदन (Collected Sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।
22. ठेकेदार / ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकडा प्रतिवेदन एवं नमूनों को क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान भुगतान नहीं किया जायेंगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
23. ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उस दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
24. लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा जोखिम पर कार्य अन्य संख्या से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
25. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
26. आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की ESI, PF के जमा की चालान की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही, किया जायेगा।
27. सफलतम बिड्दाता द्वारा श्रमिकों को देय निर्धारित राशि के भुगतान की अनुपालना सुनिश्चत करनी होगी।
28. किसी भी सेवा निष्पादक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नही होने / उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की मौखिक / लिखित शिकायत प्राप्त होने पर सेवा प्रदाता कार्यालय के आदेशानुसार तुरन्त प्रभाव से उसके स्थान पर नये सेवा निष्पादक को लगायेगा।
29. बोलीदाता द्वारा फर्म के मालिक / प्रोपराईटर / डायरेक्टर / प्रबन्धक एवं उपलब्ध करवाये जाने वाले समस्त सेवा निष्पादकों का राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुलिस वैरिफिकेशन संलग्न करना होगा, जो छः माह से अधिक पुराना न हो।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम : ....

पता : ....

RajKaj Ref
9184710

Signature valid

Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/7/24

Annexure-"A"

वित्तिय बोली प्रपत्र

क्र. सं.	सेवा का नाम व श्रमिक श्रेणी	श्रमिकों की सख्यां	सी.पी.सी.वी (CPCB) द्वारा निर्धारित तथा आर. पी. सी.बी. (RPCB) द्वारा संरक्षित दर प्रति गाह प्रति इकाई)	बिडदाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति माह प्रति इकाई	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिमाह प्रति इकाई (राशि पूर्ण रूपये में ही स्वीकार्य होगी)	EPF दर राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित दर प्रति माह प्रति इकाई	ESI दर राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित दर प्रति माह प्रति इकाई	कुल राशि रूपये में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	क्षेत्र सहायक	09	7358			13%	3.25%	
2	वैज्ञानिक सहायक	03	13400			13%	3.25%	

1- CPCB के द्वारा देय पारिश्रमिक राशि के अनुसार राशि श्रमिकों को देने हेतु बिड प्रपत्र के वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 4 में पारिश्रमिक राशियां निर्धारित कर–राज्य मण्डल द्वारा दर संरक्षित की गई है. अतः बिड के वित्तीय प्रपत्र में कॉलम संख्या 5 में बिडदाता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम पारिश्रमिक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक 17953 दिनांक 28.06.2022 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर (7358/– रूपये) से कम का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

2- क्रसं 01 के लिए 10,000 तथा क्र.सं. 2 के लिए 18000/– रूपये अधिकतम कुल राशि CPCB द्वारा निर्धारित है. इससे अधिक राशि किसी भी रूप में देय नहीं है।

3- उपयुक्त तालिका में संवेदक द्वारा कॉलम 5 व 6 में ही राशि अकिंत की जायेगी तथा कॉलम 6 में राशि पूर्ण रूपयों में अंकित करने पर ही बिड स्वीकार्य होगी। शेष कॉलमों की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा ही अकिंत कर, बोली दस्तावेजों में अकिंत कर उपलब्ध कराई गई है। L-1 का विवरण कॉलम 9 के आधार पर किया जायेगा।

4- बोलीदाता / संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

5- **एक से अधिक बोली दाताओं द्वारा कॉलम 9 में समान राशि अकिंत होने पर जिस बोली दाता का वित्तिय वर्ष 2021–22, 2022–2023 एवं 2023–2024 में वार्षिक टर्न ओवर सबसे अधिक होगा तथा जिस फर्म का अनुभव सबसे अधिक होगा, उस बोलीदाता को प्राथमिकता मिलेगी।**

6- टर्न ओवरः– बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष **2021–22, 2022–2023 एवं 2023–2024** न्यूनतम टर्न ओवर 30 (तीस) लाख होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टेट अकाण्टेंट द्वारा UDIN No- सहित प्रमाणित पत्र की प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी। सम्बन्धित वर्षों की बैलेंस शीट तथा ITR प्रस्तुत करनी होगी।

7- निविदादाता की वित्तिय स्थिति सुदृढ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारन्टी के रूप पर Bank Solvency रूप से कम 10 लाख रूपये तक होना आवश्यक है।

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध/प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/7/24

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
9184710

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर
सहित

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

कमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/07/24

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to…………………………………………………for procurement of ……………………………………in response to their Notice Inviting Bids No. ………………………….. Dated………………………….. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:……………….. Signature of bidder

Palace:……………… Name:…………………………………..

Designation:……………………………

Address:……………………………

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/07/24

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary, RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

(e) applicability of the provisions of confidentiality;

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम व फर्म की मोहर सहित

RajKaj Ref
9184710

Signature valid

Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औधोगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

कमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/07/24

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …………………

of……………………………………….
…………………………………………………………………..

Before the …………………………………………………………………………………………
(First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellate:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ……………………

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………

Place:………………

Date:……………….

Appellant's Signature

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/07/24

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

RajKaj Ref
9184710

Signature valid

Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित

RajKaj Ref
9184710

Signature valid

Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम चरण, बासनी, जोधपुर–342005
Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांक –आरओ–जोध / प्रयोगशाला–NAMP Tender 06/2024-25/ 1714 दिनांक :– 25/07/24

(नोटेरी द्वारा सत्यापित 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

Declaration realted to Blacklisted Firm

मैं / हम .... पुत्र श्री ....पदनाम (प्रोपराईट / पार्टनर / अधिकृत प्रतिनिधि)..मै. ....(फर्म का नाम) ....(फर्म का पता)... . (घर का पता) यह शपथपूर्वक घोषणा करते है हमारी फर्म मै0 ....को भारत में कही भी ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।

दिनांक :–

स्थान :–

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित**

RajKaj Ref
9184710

Signature valid
Digitally signed by Shilpi Sharma
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.07.24 19:47:28 IST
Reason: Approved